रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1982/आषाढ़ 16, 1904
No. 290] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1982/ASADHA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1982

का. आ. 480 (अ)/18कक/आईडीआरए/82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 387 (अ)/18कक/आई डी आर ए/79, तारीख 7 जुलाई, 1979, सं. का.आ. 497 (अ) ता. 5 जुलाई, 1980 और सं. का.आ. 541 (अ) ता. 6 जुलाई, 1981 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 426 (अ)/18कक/आई डीआरए/74 तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के रसायन एकक का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 7 जुलाई 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए, ग्रहण कर लिया गया था और मैसर्स असम इंडस्ट्रीयल डेवल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय में लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध मैसर्स असम इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहना चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 7 जुलाई, 1983 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा

[सं. 4(4)/80-सीमाशुल्क]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 7th July, 1982

S.O. 480(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 426(E)/18AA/IDRA/74, dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 387(E)/18AA/IDRA/79, dated the 7th July, 1979,

No. S.O. 497(E), dated the 5th July, 1980, and No. S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), upto and inclusive of the 7th July, 1982, and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said indusrial undertaking ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 7th July, 1983.

[No. 4(4)/80-CUS]

का. आ. 481 (अ)/18चख/आईडीआरए/82.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 151(अ)/18चख/आई डी आर ए/75, तारीख 21 मार्च, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनका मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम का रसायन एकक या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ;

और उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि 7 जुलाई, 1982 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 जुलाई, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियमन, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 जुलाई, 1983, तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[सं. 4(4)/80-सीमाशुल्क]

आर. के. भार्गव, संयुक्त सचिव

S.O. 481(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 151(E)/18FB/IDRA/75, dated the 21st March, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 7th July, 1982;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 7th July, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th July, 1983.

[No. 4(4)/80-CUS]

R. K. BHARGAWA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982